कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं.– 07662–241655 ई–मेल– deanmcrewa@rediffmail.com
फैक्स न.– 07662–251167 वेबसाइट–www.ssmcrewa.com

क्रमांक ..../स्था/राज/एमसी/2022 रीवा, दिनांक ....

आदेश

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्र. 29492/स्था/राज/एमसी/2022, रीवा, दिनांक 19.12.2022 के अनुक्रम में दिनांक 23.12.2022 को संपन्न साक्षात्कार में चयन समिति की अनुशंसानुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में उनके नाम के समक्ष दर्शित विभागों में **सीनियर रेसीडेंट** के पद पर स्टायपेंड रुपये 80,811/– प्रतिमाह में निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है:–

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता	आवेदक की श्रेणी	विभाग	चयनित श्रेणी
1.	डॉ. शुभम नामदेव, पिता श्री जगदीश प्रसाद नामदेव, **पता:**– क्वार्टर नं. 09, शिवानंद मिशन आई हॉस्पिटल, वीरनगर, राजकोट, गुजरात, पिन 360060	अन्य पिछड़ा वर्ग	नेत्र रोग	अनारक्षित
2.	डॉ. विधि सिंह, पति श्री अम्बुज सिंह, **पता:**– मकान नं. 49, सिविल लाइन्स, झांसी, उ.प्र., पिन 284001	अनारक्षित	प्रसूति एवं स्त्री रोग	अनारक्षित
3.	डॉ. अनुभव गुप्ता, पिता श्री दिनेश प्रसाद गुप्ता, **पता:**– न्यू डॉक्टर कॉलोनी, रीवा, म.प्र., पिन 486001	अनारक्षित	जनरल मेडिसिन	अपिव के विरूद्ध
4.	डॉ. राहुल कुमार गिरि, पिता श्री उपेन्द्र कुमार गिरि, **पता:**– के–22, कांदमबानी संत आश्रम नगर, बागमुघालिया, भोपाल, म.प्र., पिन 462043	अन्य पिछड़ा वर्ग	जनरल सर्जरी	अनारक्षित
5.	डॉ. पलाश अग्रवाल, पिता श्री दीपक अग्रवाल, **पता:**– म.नं. 7/740, बोदाबाग रोड, रीवा, म.प्र., पिन 486001	अनारक्षित	जनरल सर्जरी	ई.डब्ल्यू. के विरूद्ध
6.	डॉ. सुरभि पंडित, पिता श्री संजय विष्णु पंडित, **पता:**– एफ–5, सुमति पी.जी. गर्ल्स हॉस्टल, डॉक्टर्स कॉलोनी,, रीवा, म.प्र., पिन 486001	अनारक्षित	मानसिक रोग	अनारक्षित

शर्तें:–

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, जो तीन वर्ष की टेन्युवर अवधि के लिए प्रथमतः एक वर्ष के लिये होगी ।
2. नियुक्ति आदेश जारी होने के 07 **दिवस** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
3. एक वर्ष पश्चात् विभागाध्यक्ष से सन्तोषजनक कार्य–व्यवहार की सूचना के आधार पर पुनः 12 माह के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा।
4. तीन वर्ष के टेन्युवर अवधि उपरांत सेवायें स्वयमेव समाप्त हो जावेंगी ।
5. कार्य एवं व्यवहार के संबंध में विभागाध्यक्ष से प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी एवं पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा ।
6. निजी व्यवसाय (Private practice) करने की अनुमति नहीं होगी ।

क्रमशः पेज...02

13

7. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
8. यह नियुक्ति स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी । नियुक्ति की अवधि समाप्ति के पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की अग्रिम सूचना देकर या उसकी एवज में एक माह का अग्रिम मानदेय देकर सेवायें समाप्त की जा सकती है।
9. इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति को एक केलेण्डर वर्ष में 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं सप्ताह में एक दिन के अवकाश की पात्रता होगी तथा यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश देय नहीं होगें, तथा निर्धारित पात्रता के अतिरिक्त कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
10. पेंशन एवं तत्संबधी कोई लाभ देय नहीं होगा।
11. नियुक्ति की अवधि में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधान लागू रहेंगे।
12. नियुक्ति की अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा अथवा किसी पाठ्यक्रम में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी।
13. पूर्व से शासकीय सेवा में होने की स्थिति में उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता का कार्यमुक्ति आदेश/सेवा से त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
14. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप सेवा के अयोग्य पाए जाए जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। इस आशय का सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ.सी. 3–15/2012/1/3, दिनांक 24.11.2012 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अथवा पी.एम.टी., यू.जी एवं पी.जी. किसी भी स्तर पर एस.टी.एफ/सी.बी.आई. आदि की जांच लंबित नहीं होने का भापथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. **कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उपस्थित दिनांक से 15 दिवस के अंदर म.प्र. मेडिकल काउंसिल, भोपाल का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अंकसूची जमा कर दी जावेगी। निर्धारित तिथि तक पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अंकसूची जमा न करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।**
17. संस्था की आवश्यकतानुसार अस्थाई रूप से कार्य करने हेतु अन्य विभाग में ड्यूटी लगाई जा सकेगी।
18. कोविड–19 महामारी को देखते हुये आवश्यकता अनुसार कोविड–19 वार्डो में विशेषज्ञता/योग्यतानुसार ड्यूटी लगायी जा सकेगी।

नोट – प्रमाणित किया जाता है कि इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है ।

//

(डॉ. देवेश सारस्वत)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

पृ.क्र 36528-34/स्था/राज/एमसी/2022, रीवा, दिनांक 30/12/22

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा।
3. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा।
4. विभागाध्यक्ष, नेत्र रोग/प्रसूति एवं स्त्री रोग/जनरल मेडिसिन/जनरल सर्जरी एवं मानसिक रोग की ओर वास्ते सूचनार्थ।
5. अनुभाग लेखा शाखा की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित सीनियर रेसीडेंट्स की शिष्यावृत्ति भुगतान मांग संख्या 52–2210–05–105–8888 चिकित्सा शिक्षा, 4968 चिकित्सा महाविद्यालय –42 सहायक अनुदान–002, अन्य में विकलनीय होगी।
6. संबंधित की ओर वास्ते पालनार्थ।

30/12/22

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)